

इजराय दर्ज की जाकर तहसीलदार, बजीरपुर को पत्र लिखा जावे कि यदि किसी अन्य न्यायालय से स्थगन आदेश नहीं हो तो डिफ्री अनुसार पालना की जावे। पत्रावली दिनांक-16.05.2017 को पेश हो।

16.5.17 वादी व उनके वकील उपस्थित। विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित। प्रकरण को लोक अदालत में रैफर करने के लिए सहमत है। अतः प्रकरण को लोक अदालत में रैफर किया जाता है। पक्षकारान दिनांक 23.05.17 को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

गोपनीय  
दिनांक 23-5-17  
23-05-17

23-5-17

पत्रांक लोक अदालत के मध्य पावटा में पेश हुई। पं. 20, पावटा ने अवगत कराया कि नामक शरख्या-804 दि. 23-05-17 से डिफ्री आदेश की पालना की जा चुकी है। अतः पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जमा जिल्ला इमिलेखागार हो।